न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R. 3466 - III/14

शकुन्तला पत्नी श्री ओमप्रकाश किरार

निवासी– ग्राम झलवासा, तहसील पोहरी

जिला शिवपुरी म.प्र. ....आवेदक

बनाम्

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला

शिवपुरी ....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 83/13–14 स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.06.14 के विरूद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रेषित है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

यहकि, विवादित् भूमि सर्वे क्रमांक सर्वे क्रमांक 26 रकवा 0.89 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 78 रकवा 0.78 कुल किता 2 कुल रकवा 1.67 हैक्टेयर , विवादित् भूमि ग्राम झलवासा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी में स्थित है। जिसके भूमि स्वामी फूलचन्द पुत्र कुडेरा सुनार थें। फूलचन्द पुत्र कुडेरा सुनार के कोई पुत्र/पुत्री और पत्नी नहीं थे। आवेदिका जब 13–14 वर्ष की थी तभी फूलचंन्द ने गोद लिया था। इस कारण आवेदिका फूलचन्द पुत्र कुडेरा सुनार की पुत्री थी । इस कारण आवेदिका का सेवा से प्रसन्न था। फूलचंन्द ने अपनी संपत्ति का रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 06.07.94 को आवेदिका एवं उसके भाई मनोज के हित में सम्पादित की गई थी। वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात विधिवत वैध वारिसान के नाम का दन्दाज राजस्व अभिलेखो हो गया था तब से आवेदिका विवादित भूमि पर काविज है। प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी जिसकी वह विधिवत भुमि स्वामी थी । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि कों इतने लम्बे समय के बाद स्वंमेव निगरानी की कार्यवाही प्रचलित की गई जो विधि अनुकूल नही थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व आवेदिका को विधिवत सुनवाई का मौका दिये बगैर विधि सिद्वातों के विरूद्व जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 30.06.14 को पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओ से विदित होता है कि आदेश पत्रिका दिनांक 16.06.14 का अभिभाषक की अनुपस्थिति में प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया है । आवेदिका एक महिला है जिसे बार बार अधीनस्थ न्यायाल में उपस्थित होनें में असमर्थ थी इस कारण उसने प्रकरण में पैरवी करने हेतु अभिभाषक को नियुक्त किया था अवेदिका निश्चिंत थी कि उसके अभिभाषक प्रकरण में पैरवी करेगें किन्तु अभिभाषक महोदय किसी कारणवश

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3466–तीन/2014 जिला–शिवपुरी

शकुन्तला विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 83/2013–14/स्व.–निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–08–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	